निबंधित/ई–मेल

सं०सं०–05/स्था०–18(अधियाचना)–28/2023

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

नीरज धर,
उप सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण,
जल संसाधन विभाग, वीरपुर/कटिहार/समस्तीपुर/मुजफ्फरपुर।
मुख्य अभियंता,
सिंचाई सृजन,
जल संसाधन विभाग, बिहारशरीफ/गयाजी/औरंगाबाद/सहरसा/दरभंगा।

पटना, दिनांकः–

विषयः– विभागान्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) के रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु रोस्टर क्लीयरेंस कराकर संशोधित अधियाचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक–5580, दिनांक–24.12.2025।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सीधी भर्त्ती द्वारा कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) के रिक्त पदों पर नियुक्ति से संबंधित आपके द्वारा उपलब्ध करायी गई अधियाचना के संबंध में कहना है कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति के लिए सीधी भर्त्ती हेतु उपलब्ध मूल कोटि के कुल बल केक 10% पद को सुरक्षित रखकर शेष पदों पर रोस्टर क्लीयरेंस कराते हुए अधियाचना उपलब्ध करायी गई है, जो सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना सं0–4319, दिनांक–02.03.2023 (छायाप्रति संलग्न) की कंडिका–6(i) एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–14396, दिनांक–10.09.2024 (छायाप्रति संलग्न) में उल्लेखित प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–23510, दिनांक–17.12.2025 द्वारा दिए गए निदेश के अनुसार त्रूटिपूर्ण है।

ज्ञातव्य हो कि, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना सं0–4319, दिनांक–02.03.2023 की कंडिका–6(i) में प्रावधानित है कि "चयनित खेल विधा में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति असैनिक संवर्ग में सीधी भर्त्ती हेतु (प्रोन्नति हेतु आरक्षित पदों को छोड़कर) उपलब्ध मूल कोटि के कुल बल के 10% के अन्तर्गत होगी।" एतद से स्पष्ट है कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति हेतु उपलब्ध मूल कोटि के कुल रिक्ति का रोस्टर क्लीयरेंस कराया जाना है।

अतएव अनुरोध है कि उक्त त्रूटियों का निराकरण करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना सं0–4319, दिनांक–02.03.2023 की कंडिका–6(i) एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–14396, दिनांक–10.09.2024 में उल्लेखित प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–23510, दिनांक–17.12.2025 द्वारा दिए गए निदेश के आलोक में संशोधित अधियाचना विभाग को अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

कृपया इसे शीर्ष प्राथमिकता दी जाय।

अनु0–यथोक्त्।

विश्वासभाजन

ह0/–

(नीरज धर)
उप सचिव

ज्ञापांकः–05 / स्था०–18(अधियाचना)–28 / 2023 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना / गोपालगंज, मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, सिवान / मोतिहारी / डिहरी / भागलपुर, मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, जल संसाधन विभाग, पटना, मुख्य अभियंता, समग्र योजना अन्वेषण एवं योजना आयोजन, जल संसाधन विभाग, पटना एवं मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं नियमानुकूल कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0–यथोक्त्।

ह0 / –

उप सचिव

ज्ञापांकः–05 / स्था०–18(अधियाचना)–28 / 2023 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव (प्रबंधन)–सह–नोडल पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

उप सचिव

ज्ञापांकः–05 / स्था०–18(अधियाचना)–28 / 2023 1019, पटना, दिनांक– 26/02/2026,

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता (आई0टी0), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

25/02/26

उप सचिव